

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुवसं./ 2169

दिनांक 24/6/22

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 32.3264 ha. Protected/Reserved forest land for widening (2 lane) of NH 12-Laxmipura-Dora-Dabi Ranaji ka Gudha Road starts from T-Junction with NH-12 (Kota Bundi Section) at Moheepura & terminates at 3-legged junction near Ranaji ka Gudha in favour of Project Director (PPP), Public Works Department, Kota, Rajasthan.

(प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/29812/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8B/RAJ/04/2022 Dated:- 15.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 2262 दिनांक 12.04.2022 से प्राप्त सूचना/टिप्पणी (प्रति संलग्न है) इस कार्यालय की सहमति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1.	Comments of CWLW shall be obtained for mitigation measures if any as the proposed area for diversion is close to jawahar sagar wildlife sanctuary.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर से प्राप्त सुझाव के अनुसार उक्त वन क्षेत्र से गुजरने वाले उक्त सड़क मार्ग पर वन्यजीवों के आवागमन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की लिनियर प्रोजेक्ट के संबंध में गाईडलाईन के अनुसार Passages बनाये जावें।(प्रति संलग्न)
2	Legal Status of forest land shall be clarified i.e area of protected forest land and reserved forest land shall be submitted.	उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक दिनांक 29.03.2022 से अवगत कराया है कि प्रस्तावित सड़क में कार्यालयधीन वन खण्ड भरता बावड़ी, कछालिया (रक्षित), धनेश्वर, डसालिया-ए.लाम्बाखोह (आरक्षित) दोनों प्रकार के वनखण्डों की आरक्षित एवं रक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। इस कारण से लीगत स्टेटस में दोनों आरक्षित एवं रक्षित वनभूमि अंकित किया गया है।
3	As per online part-II a total of 611 tree area proposed for felling and in tree enumeration list number of trees are submitted as 625. This shall be clarified	उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक दिनांक 29.03.2022 से अवगत कराया है कि ऑनलाईन पार्ट-II एवं पेड़ गणना सूचियों में पातन योग्य वृक्षों की संख्या 619 कर दी गई है, संशोधित ऑनलाईन पार्ट-II एवं पेड़ गणना सूचियां संलग्न है।

उक्त आक्षेपों का जवाब दो सेटों में भिजवाया जा रहा है। कृपया एक सेट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुवसं./ 2170

दिनांक 24/6/22

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर

संख्या 0141-2700151

ई-मेल: cwlw.raj@gmail.com

क: एफ 4 (70) व.जी.स्वी./मुवजीप्र/1607

दिनांक: 22/6/22

निमित्त

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12 (FP/RJ/ROAD/29812/2017)

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन) राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक 1487 दिनांक 27.04.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकुन्दरा हिल्स
टाईगर रिजर्व, कोटा के पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 01.06.2022 से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित सड़क मार्ग
की जवाहर सागर अभयारण्य की सीमा से अधिकतम दूरी 4.45 किमी तथा न्यूनतम दूरी 2.18 किमी है तथा यह
सड़क मार्ग उक्त अभयारण्य के ईको सेन्सेटिव जोन से भी बाहर है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वन क्षेत्र से गुजरने वाले उक्त सड़क मार्ग पर वन्यजीवों के आवागमन
हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की लिनियर प्रोजेक्ट के संबंध में गाईडलाईन के अनुसार passages बनाये
जावें।

भवदीय

(अरिन्दम तोमर)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर